

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 48 / 2015

दर्ज दिनांक:—24.06.2015

1. रामजीलाल पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. बनैसिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

तालेराम

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—21.05.2018

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। वकील वादीगण उप/बार—बार हिदायत के बाबजूद भी प्रतिवादीगण की तलवी नहीं कराई गई है। प्रतीत होता है कि वादी0 अपने दावा के प्रति सजग नहीं है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण अन्तर्गत ओ—9 नियम 5 सी.पी. सी. के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर